मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १९ सन् २०१८

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, २०१८

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१८ है. **संक्षिप्त नाम.**

भाग एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) में, धारा १३३-क में, उपधारा (१) में,— **मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २३ सन् १९५६ का संशोधन.**

(एक) शब्द "दो प्रतिशत" के स्थान पर, शब्द "तीन प्रतिशत" स्थापित किए जाएं;

(दो) शब्द "नगरपालिक निगम को इस प्रकार प्राप्त होने वाली शुल्क की राशि का उपयोग अधोसंरचना विकास की परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में अथवा ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये संबंधित नगरपालिक निगम द्वारा अथवा उसकी ओर से लिए गए ऋणों का प्रतिसंदाय करने में किया जाएगा.", के स्थान पर, शब्द "इस प्रकार प्राप्त होने वाली शुल्क की राशि का उपयोग नगरीय क्षेत्र में नगरीय अधोसंरचना विकास, किफायती आवास परियोजनाओं, मेट्रो रेल को सम्मिलित करते हुए नगरीय परिवहन या ऐसी अन्य परियोजनाओं के लिये किया जा सकेगा. इस प्रकार प्राप्त राशि का उपयोग उपरोक्त उल्लिखित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु लिए गए ऋणों के प्रतिसंदाय के लिए भी किया जा सकेगा." स्थापित किए जाएं.

भाग दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन.

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में, धारा १६१ में, उपधारा (१) में,— **मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३७ सन् १९६१ का संशोधन.**

(एक) शब्द "दो प्रतिशत" के स्थान पर, शब्द "तीन प्रतिशत" स्थापित किए जाएं;

(दो) शब्द "नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद् को इस प्रकार प्राप्त होने वाली शुल्क की राशि का उपयोग अधोसंरचना विकास की परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में अथवा ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये संबंधित नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद् द्वारा अथवा उसकी ओर से लिए गए ऋणों का प्रतिसंदाय करने में किया जाएगा.", के स्थान पर, शब्द "इस प्रकार प्राप्त होने

वाली शुल्क की राशि का उपयोग नगरीय क्षेत्र में नगरीय अधोसंरचना विकास, किफायती आवास परियोजनाओं, मेट्रो रेल को सम्मिलित करते हुए नगरीय परिवहन या ऐसी अन्य परियोजनाओं के लिये किया जा सकेगा. इस प्रकार प्राप्त राशि का उपयोग उपरोक्त उल्लिखित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु लिए गए ऋणों के प्रतिसंदाय के लिए भी किया जा सकेगा.'' स्थापित किए जाएं.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

४. (१) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश २०१८ (क्रमांक ६ सन् २०१८) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश का निरसन के होंते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) की धारा १३३-क तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) की धारा १६१ अचल सम्पत्ति के अंतरण पर सम्पत्ति के मूल्य पर दो प्रतिशत की दर से अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क अधिरोपित करने का उपबंध करती है. स्टाम्प शुल्क को दो प्रतिशत से बढ़ाकर तीन प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है. यह राशि, नगरीय अधोसंरचना विकास, किफायती आवास परियोजनाओं, मेट्रो रेल को सम्मिलित करते हुए नगरीय परिवहन या नगरीय क्षेत्रों में ऐसी अन्य परियोजनाओं के लिए उपयोग की जाएगी. इस प्रकार प्राप्त यह राशि उपरोक्त उल्लिखित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु लिए गए ऋणों के प्रतिसंदाय के लिए भी उपयोग की जा सकेगी.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, २०१८ (क्रमांक ६ सन् २०१८) इस प्रयोजन हेतु प्रख्यापित किया गया था. अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर, राज्य विधान मण्डल का अधिनियम बिना उपरांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २१ जून, २०१८

माया सिंह
भारसाधक सदस्य

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड-दो तथा तीन द्वारा नगरीय क्षेत्र में लगने वाले मुद्रांक शुल्क प्रभार को २ प्रतिशत से बढ़ाकर ३ प्रतिशत किये जाने तथा उससे प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग नगरीय क्षेत्र में नगरीय अधोसंरचना विकास, किफायती आवास परियोजनाओं, मेट्रो रेल को सम्मिलित करते हुये नगरीय परिवहन तथा ऐसी अन्य परियोजनाओं को क्रियान्वित करने तथा उपरोक्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु लिये गये कर्ज के प्रतिसंदाय करने हेतु विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है, उक्त प्रत्यायोजन समान्य स्वरूप के होंगे.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

शहरी क्षेत्र में नगरीय अधोसंरचना विकास, किफायती आवास की परियोजनाएं, मेट्रो रेल को सम्मिलित करते हुये नगरीय परिवहन तथा नगरीय क्षेत्र की अन्य परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु तथा इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु लिये गये कर्ज के प्रतिसंदाय को दृष्टिगत रखते हुए मुद्रांक शुल्क प्रभार को २ प्रतिशत से बढ़ाकर ३ प्रतिशत किया जाना आवश्यक था. मुद्रांक शुल्क प्रभार को २ प्रतिशत से बढ़ाकर ३ प्रतिशत किये जाने तथा उससे प्राप्त होने वाली राशि के उपयोग के लिये मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, १९५६ की धारा १३३-ए तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम १९६१ की धारा १६१(१) में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया था, चूंकि मामला अंत्यावश्यक था ओर विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, इसलिये मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश २०१८ (क्रमांक ६ सन् २०१८) इस प्रयोजन हेतु प्रख्यापित किया गया था.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) से उद्धरण.

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ की धारा १३३-क (१)

"भारतीय स्टाम्प अधिनियम १८९९ (१८९९ का सं. २) द्वारा स्थावर सम्पत्ति क्रमशः विक्रय दान तथा भोग बंधक की लिखतों पर अधिरोपित शुल्क में, उन लिखतों की दशा में, जो किसी निगम की सीमाओं के भीतर स्थित स्थावर सम्पत्ति को प्रभावित करती है और उस तारीख को या उसके पश्चात निष्पादित की गई है जिसको इस अधिनियम के उपबंध ऐसी सीमाओं को लागू किए जाते हैं, ऐसी स्थित सम्पत्ति के मूल्य पर या भोग बंधक की दशा में, लिखत द्वारा प्रतिभूत उस रकम पर, जो लिखत में उपवर्णित है, दो प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी.

नगरपालिक निगम को इस प्रकार प्राप्त होने वाली शुल्क की राशि का उपयोग अधोसंरचना विकास की परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में अथवा ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये संबंधित नगरपालिक निगम द्वारा अथवा उसकी ओर से लिये गये ऋणों का प्रतिसंदाय करने में किया जायेगा."

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९६१ की धारा १६१ (१)

"भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का सं. २) द्वारा स्थावर सम्पत्ति के क्रमशः विक्रय, दान तथा भोगबंधक की लिखतों पर अधिरोपित शुल्क में, उन लिखतों की दशा में, जो किसी नगरपालिका की सीमाओं के भीतर स्थित स्थावर सम्पत्ति को प्रभावित करती है और उस तरीख को या उसके पश्चात निष्पादित की गई है जिसको इस अधिनियम के उपबंध उस नगरपालिका में प्रवृत्त होते हैं, ऐसी स्थिति सम्पत्ति के मूल्य पर, या भोगबंधक की दशा में, लिखत द्वारा प्रतिभूत उस रकम पर जो लिखत में उपवर्णित है, दो प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी.

नगरपालिका परिषद या नगर परिषद को इस प्रकार प्राप्त होने वाली शुल्क की राशि का उपयोग अधोसंरचना विकास की परियोजनाओं की क्रियान्वित करने में अथवा ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए संबंधित नगरपालिका परिषद या नगर परिषद द्वारा अथवा उसकी ओर से लिए गए ऋणों का प्रतिसंदाय करने में किया जायेगा :

परन्तु इसमें की कोई भी बात ऐसी सम्पत्ति के अंतरण की दशा में लागू नहीं होगी जहां इस प्रकार अंतरित सम्पत्ति का मूल्य या भोगबंध की दशा में, इस प्रकार प्रतिभूत रकम, दो हजार रुपये से अधिक न हो."

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.